सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 60

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3993.99	9.28	4003.27	4361.67	13.54	4375.21	4059.24	5.52	4064.76	4361.65	13.56	4375.21
वसूलियां	-2.47	...	-2.47	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	3991.52	9.28	4000.80	4361.67	13.54	4375.21	4059.24	5.52	4064.76	4361.65	13.56	4375.21

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	66.76	...	66.76	68.68	...	68.68	77.14	...	77.14	88.83	...	88.83
	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*66.72*	...	*66.72*	*68.68*	...	*68.68*	*77.14*	...	*77.14*	*88.83*	...	*88.83*
1.02 कला एवं संस्कृति	8.88	...	8.88	10.89	...	10.89	9.39	...	9.39	12.97	...	12.97
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*8.86*	...	*8.86*	*10.89*	...	*10.89*	*9.39*	...	*9.39*	*12.97*	...	*12.97*
1.03 सूचना एवं प्रचार	379.36	...	379.36	415.88	...	415.88	374.11	...	374.11	453.00	...	453.00
	-1.29	...	-1.29	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	*378.07*	...	*378.07*	*415.88*	...	*415.88*	*374.11*	...	*374.11*	*453.00*	...	*453.00*
निवल	*453.65*	...	*453.65*	*495.45*	...	*495.45*	*460.64*	...	*460.64*	*554.80*	...	*554.80*
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. प्रसार भारती												
2.01 प्रसार भारती को सहायता अनुदान	204.70	...	204.70	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.02 किसान चैनल के लिए प्रसार भारती हेतु सहायता अनुदान	40.24	...	40.24	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.03 अरुण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता अनुदान	35.76	...	35.76	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2.04 प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास	...	...	...	473.00	...	473.00	235.40	...	235.40	370.00	...	370.00
जोड़- प्रसार भारती	*280.70*	...	*280.70*	*473.00*	...	*473.00*	*235.40*	...	*235.40*	*370.00*	...	*370.00*
3. सूचना												
3.01 विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार	232.73	...	232.73	200.00	...	200.00	187.63	...	187.63	220.00	...	220.00

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
3.02	मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम	17.94	...	17.94	21.00	...	21.00	23.57	...	23.57	...	...	...
3.03	मानव संसाधन विकास	4.18	...	4.18	6.00	...	6.00	3.80	...	3.80	...	...	...
	जोड़- सूचना	*254.85*	*...*	*254.85*	*227.00*	*...*	*227.00*	*215.00*	*...*	*215.00*	*220.00*	*...*	*220.00*
4.	*फिल्म*												
4.01	विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार	46.16	...	46.16	53.87	...	53.87	63.39	...	63.39	101.94	13.56	115.50
4.02	फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम	28.94	2.61	31.55	62.61	5.54	68.15	62.61	3.00	65.61	...	...	...
4.03	भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय	...	3.67	3.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.04	मिशन/विशेष परियोजना	12.14	...	12.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.05	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	...	...	...	17.48	5.00	22.48	3.59	0.02	3.61	...	...	...
4.06	एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	...	...	...	20.50	...	20.50	0.02	...	0.02	...	...	...
4.07	चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50	30.00	...	30.00
	जोड़- फिल्म	*87.24*	*6.28*	*93.52*	*154.46*	*10.54*	*165.00*	*130.11*	*3.02*	*133.13*	*131.94*	*13.56*	*145.50*
5.	*जनसंचार*												
5.01	अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन	...	...	...	1.50	...	1.50	1.29	...	1.29	...	...	...
5.02	आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	4.91	...	4.91	9.50	...	9.50	12.47	...	12.47	...	...	...
	जोड़- जनसंचार	*4.91*	*...*	*4.91*	*11.00*	*...*	*11.00*	*13.76*	*...*	*13.76*	*...*	*...*	*...*
6.	*प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण*												
6.01	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुद्ढीकरण	13.71	3.00	16.71	14.30	3.00	17.30	17.90	2.50	20.40	...	...	...
6.02	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता	1.26	...	1.26	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	4.50	...	4.50
6.03	मिशन डिजिटलीकरण	3.40	...	3.40	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	...	...	...
6.04	प्रसारण विंग का स्वचालन	1.43	...	1.43	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	...	...	...
	जोड़- प्रसारण संबंधी कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण	*19.80*	*3.00*	*22.80*	*21.00*	*3.00*	*24.00*	*25.60*	*2.50*	*28.10*	*4.50*	*...*	*4.50*
	जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**647.50**	**9.28**	**656.78**	**886.46**	**13.54**	**900.00**	**619.87**	**5.52**	**625.39**	**726.44**	**13.56**	**740.00**
	केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
	स्वायत्त निकाय												
7.	*स्वायत्तशासी निकायों को सहायता*												
7.01	प्रसार भारती	2820.56	...	2820.56	2889.36	...	2889.36	2889.36	...	2889.36	2889.36	...	2889.36
		-1.12	...	-1.12	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	निवल	*2819.44*	*...*	*2819.44*	*2889.36*	*...*	*2889.36*	*2889.36*	*...*	*2889.36*	*2889.36*	*...*	*2889.36*
7.02	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे	30.78	...	30.78	32.85	...	32.85	30.87	...	30.87	49.40	...	49.40
7.03	एसआरएफटीआई कोलकाता	17.45	...	17.45	19.71	...	19.71	19.91	...	19.91	67.55	...	67.55
7.04	बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई)	2.90	...	2.90	3.90	...	3.90	3.90	...	3.90	3.90	...	3.90
7.05	भारतीय जनसंचार संस्थान	15.01	...	15.01	26.49	...	26.49	25.69	...	25.69	61.30	...	61.30
7.06	भारतीय प्रैस परिषद	4.79	...	4.79	7.45	...	7.45	9.00	...	9.00	8.90	...	8.90
	जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	*2890.37*	*...*	*2890.37*	*2979.76*	*...*	*2979.76*	*2978.73*	*...*	*2978.73*	*3080.41*	*...*	*3080.41*

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल जोड़	*3991.52*	*9.28*	*4000.80*	*4361.67*	*13.54*	*4375.21*	*4059.24*	*5.52*	*4064.76*	*4361.65*	*13.56*	*4375.21*
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	8.86	...	8.86	10.89	...	10.89	9.39	...	9.39	12.97	...	12.97
2. सूचना और प्रचार	815.80	...	815.80	872.09	...	872.09	800.30	...	800.30	967.29	...	967.29
3. प्रसारण	3100.14	...	3100.14	3247.36	...	3247.36	3067.26	...	3067.26	3218.56	...	3218.56
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	66.72	...	66.72	68.68	...	68.68	77.14	...	77.14	88.83	...	88.83
5. सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	...	9.28	9.28	...	13.54	13.54	...	5.52	5.52	...	13.56	13.56
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**3991.52**	**9.28**	**4000.80**	**4199.02**	**13.54**	**4212.56**	**3954.09**	**5.52**	**3959.61**	**4287.65**	**13.56**	**4301.21**
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	162.65	...	162.65	105.15	...	105.15	74.00	...	74.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**162.65**	**...**	**162.65**	**105.15**	**...**	**105.15**	**74.00**	**...**	**74.00**
कुल जोड़	**3991.52**	**9.28**	**4000.80**	**4361.67**	**13.54**	**4375.21**	**4059.24**	**5.52**	**4064.76**	**4361.65**	**13.56**	**4375.21**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
अन्वेषण और उत्पादन												
1. ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसलटैन्टस इंडिया लिमिटेड	...	192.54	192.54	...	142.00	142.00	...	228.21	228.21	...	247.02	247.02
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	...	1.20	1.20	...	10.16	10.16	...	5.26	5.26	...	6.61	6.61
जोड़-अन्वेषण और उत्पादन	**...**	**193.74**	**193.74**	**...**	**152.16**	**152.16**	**...**	**233.47**	**233.47**	**...**	**253.63**	**253.63**
जोड़	**...**	**193.74**	**193.74**	**...**	**152.16**	**152.16**	**...**	**233.47**	**233.47**	**...**	**253.63**	**253.63**

1.01. **सचिवालय:** इसमें मुख्य सचिवालय, प्रधान लेखा कार्यालय और वेतन एवं लेखा कार्यालय के लिए स्थापना व्यय शामिल है। युक्तिकरण के पश्चात, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक और नियमित स्वरूप के कार्यकलापों अर्थात मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) (फिल्म मीडिया के लिए एचआरडी के तहत एफटीआईआई और एसआरएफटीआई घटक के सिवाय) मिशन डिजिटीकरण और प्रसारण विंग के स्वचालन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्य सचिवालय के साथ मिला दिया गया है।

1.02. **सचिवालय:** इस प्रावधान में (i) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण पर व्यय शामिल है। इसके अलावा, पूंजीगत भाग "सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकरण और विस्तार तथा प्रमाणन प्रक्रिया" के तहत सीबीएफसी के कार्यकलापो' को भी वित्तीय वर्ष 2020-21 से सीबीएफसी के साथ मिला दिया गया है।

1.03. **सचिवालय:** इसके अंतर्गत इस मंत्रालय के निम्नलिखित माध्यम एककों पर किए जाने वाले स्थापना संबंधी व्यय को कवर किया जाता है:-

(i) लोक संपर्क और संचार ब्यूरो – मंत्रालय में लिए गए निर्णय के अनुसार विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग के स्थापना व्यय को आमेलित कर दिया गया है एवं वर्ष 2018-19 से लोक संपर्क और संचार ब्यूरो नामक एकल बजट प्रविष्टि शुरू की गई है। इसमें कार्यकलापों अर्थात विज्ञापन एवं अन्य मुद्रित सामग्रियों और रेडियो, टेलीविजनों, प्रदर्शनियों एवं अन्य वाह्य प्रचार मीडिया के जरिए प्रचार अभियान, फिल्मो शो, मीडिया कार्यक्रमों के सीधे चित्रण, फोटो प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए अंतर-वैयक्तिक, विकासपरक संचार तथा लोगों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा करने संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) स्कीम को मिलाने के साथ, बीओसी ने अपने सदृश आंबटन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्कीम के तहत शामिल किया है।

(ii) पत्र सूचना कार्यालय जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक संपर्क माध्यम का कार्य करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन संपर्क संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। फोटो प्रभाग के कार्य भारत के प्रधानमंत्री तथा उप राष्ट्र पति के दैनिक आयोजनों की आधिकारिक फोटो कवरेज करना है। यह भारत सरकार की ओर से आंतरिक तथा बाह्य प्रचार हेतु दृश्यों प्रलेखन तथा फोटोग्राफों को तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसे वित्त वर्ष 2019-20 से पत्र सूचना कार्यालय के साथ आमेलित कर दिया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) स्कीम को मिलाने के साथ, पीआईबी ने अपने सदृश आंबटन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्कीम के तहत शामिल किया है।

(iii) प्रकाशन विभाग यह मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के व्यय के लिए प्रावधान करता है। यह विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विविध विषयों पर सशुल्क पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन करता है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में साप्ताहिक 'इम्प्लायमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार' का भी प्रकाशन करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) स्कीम को मिलाने के साथ, प्रकाशन विभाग ने अपने सदृश आंबटन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्कीम के तहत शामिल किया है।

(iv) न्यू मीडिया विंग इस शीर्ष के अंतर्गत किया गया प्रावधान गवेषणा तथा संदर्भ प्रभाग के लिए है जिसे न्यू मीडिया विंग के रूप में पुनर्नामित किया गया है जो मंत्रालय तथा उसके माध्यम एककों, विदेशों में भारतीय मिशनों तथा समाचार पत्रों एवं मीडिया एजेंसियों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु मीडिया के हित से जुड़े विषयों पर मूलभूत सूचना एकत्र करने तथा उनकी तुलना करने का कार्य करता है।

(v) भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) समाचारपत्रों/ आवधिकियों के लिए शीर्षकों के सांख्यिकीय रिकॉर्डों का रखरखाव करने/उनका सत्यापपन करने का कार्य करता है। यह समाचारपत्रों/आवधिकियों के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र भी जारी करता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, युक्तिकरण के कारण स्थापना व्यय के तहत मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) स्कीम को मिलाने के साथ, आरएनआई ने अपने सदृश आंबटन को वित्तीय वर्ष 2020-21 से एमआईडीपी स्कीम के तहत शामिल किया है।

(vi) इसमें संचार विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीतय कार्यक्रम (आईपीडीसी) के लिए अंशदान तथा एशियाई प्रसारण विकास संस्था‍ान (एआईबीडी) के लिए अंशदान, एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख संगठनों की सदस्यता के लिए अंशदान तथा प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन के लिए अंशदान संबंधी प्रावधान भी शामिल हैं।

(vii) इस स्थापना व्यय में शामिल है:-

(क) फिल्म प्रभाग (जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों के लिए न्यूज़ रीलों, लघु फिल्मों तथा वृत्तचित्रों के जरिए देश के जीवन के सभी महत्व पूर्ण पहलुओं पर सूचना का प्रचार एवं प्रसार करता है) का स्थापना व्यय शामिल है, इसमें भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का परिचालन व्यय भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, युक्तिकरण के पश्चात, फिल्म प्रभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2020-21 से फिल्म प्रभाग की भवन संरचना का उन्नयन शामिल है।

(ख) फिल्मे समारोह निदेशालय (डीएफएफ)- सुरुचिपूर्ण सिनेमा का संवर्धन करने तथा भारतीय अंतर्राष्ट्री य फिल्मा समारोह, भारतीय पैनोरमा फिल्मा समारोह और राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन करने तथा साथ ही सिरी फोर्ट सभागार का प्रबंधन करने का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, युक्तिकरण के पश्चात डीएफएफ के बजट में वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रोजेक्शन प्रणाली, साउंड एंड लाईटिंग तथा संचार प्रणाली में सुधार सहित सिरी फोर्ट परिसर का उन्नयन शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई)- जो बेहतरीन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कालजयी फिल्मों का संरक्षण करने का कार्य करता है, की स्थायपना से जुड़ा व्यय शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से, युक्तिकरण के पश्चात, एनएफएआई के बजट में, जयकर बंगला, जो एनएफएआई परिसर के भीतर एवं विरासत भवन है, के भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की अवसंरचना की स्कीम उन्नयन, जिसमें जयकर बंगला शामिल है, के तहत डिजिटल पुस्तकालय में विकास और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना शामिल है।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केंद्र- इसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों/रेडियो द्वारा कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की निगरानी करने का प्रावधान किया गया है। युक्तिकरण के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2020-21 से, ईएमएमसी के बजट में "ईएमएमसी का सुदृढ़ीकरण" स्कीम के तहत उसके आधुनिकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र पर पूंजीगत व्यय शामिल है।

2.04. **प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास:** इसमें प्रसार भारती को सहायता अनुदान स्कीम के लिए प्रावधान भी शामिल है, जो कि प्रसार भारती के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए प्रसार भारती के संसाधनों के अंतराल को पाटने हेतु सहायता अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। प्रसार भारती के प्रावधानों को तीन स्कीमों अर्थात (क) प्रसार भारती को सहायता-अनुदान; (ख) किसान चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता-अनुदान; तथा (ग) अरूण प्रभा चैनल के लिए प्रसार भारती को सहायता-अनुदान के अंतर्गत कवर किया गया। अब इन तीनों स्की)मों को आमेलित कर दिया गया है तथा उसे प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास (नई स्कीम) के रूप में पुनर्नामित किया गया है।

3.01. **विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार:** इसमें "विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार" नामक समावेशी कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए प्रावधान को शामिल किया गया है।

3.02. **मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** इस अम्ब्रेला कार्यक्रम के तहत आईआईएमसी को छोड़कर मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 से, अम्ब्रेला कार्यक्रम को बीओसी, पीआईबी, प्रकाशन विभाग और आरएनआई के तहत स्थापना व्यय में शिफ्ट किया गया है।

3.03. **मानव संसाधन विकास:** समावेशी कार्यक्रम "मानव संसाधन विकास (एचआरडी)" में (क) प्रसार भारती को छोड़कर मानव संसाधन विकास हेतु प्रशिक्षण; (ख) अंतरराष्ट्री य मीडिया कार्यक्रम; (ग) नीति संबंधी सम्मेनलन आदि स्कीपमें शामिल हैं। वर्ष 202-21 से, अम्ब्रेला कार्यक्रम को स्थापना व्यय (मुख्य सचिवालय) और अन्य केंद्रीय व्यय (एफटीआईआई और एसआरएफटीआई) में भी शिफ्ट किया गया है।

4.01. **विकास संचार और फिल्म सम्बन्धी विषय वस्तु का प्रसार:** समावेशी कार्यक्रम विकास संचार एवं फिल्मा संबंधी विषय-वस्तुक का प्रसार में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं:-

(क) फिल्म समारोहों और फिल्म बाजार के जरिए भारत और विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय)

(ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्त चित्रों का निर्माण

(ग) फिल्म अभिलेखागार की वेबकास्टिंग (फिल्म प्रभाग)

(घ) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण (एनएफएआई)

(ङ) पाइरेसी-रोधी पहलें

(च) राष्ट्री य फिल्मल विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय) – अभी तक की स्थि ति के अनुसार, एनएफएचएम फिल्मं विंग के अंतर्गत एक अलग स्कीसम थी। परंतु युक्ति करण के कारण, वित्तच वर्ष 2020-21 से एनएफएचएम के तहत डीसीडीएफसी स्की म का प्रावधान किया गया है जोकि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सौन्दर्यात्म क मूल्यों की फिल्मोंन के पुनरुद्धार, अभिलेखों और परिरक्षण सुविधाओं का निर्माण करना तथा पूंजीगत व्यय के तहत सामग्रियों के संरक्षण के लिए वाल्टन का निर्माण करने से संबंधित है।

4.02. **फिल्म क्षेत्र से सम्बन्धित अवसंरचना विकास कार्यक्रम:** फिल्म क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना विकास कार्यक्रम नामक समावेशी कार्यक्रम में निम्नलिखित स्कीमें शामिल हैं:-

(क) सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण व विस्तार और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया- ऑनलाइन प्रमाणीकरण के जरिए प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। (ख) सिरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स का उन्नकयन (डीएफएफ) (ग) फिल्म प्रभाग की भवन-अवसंरचना का उन्नयन- (घ) जयकर बंगला सहित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करना (एनएफएआई) - (ङ) एफटीआईआई (पुणे) के उन्नययन व आधुनिकीकरण हेतु सहायता- (च) एसआरएफटीआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास-

युक्तिकरण के बाद, उप स्कीमों (क) से (घ) को सीबीएफसी, फिल्म प्रभाग, डीएफएफ और एनएफएआई के अंतर्गत स्थापना व्यय में स्थानांतरित कर दिया गया है जबकि उप-स्कीम (ङ) से (च) को अन्य केंद्रीय व्यय श्रेणी के अंतर्गत क्रमश: एफटीआईआई और एसआरएफटीआई के साथ मिला दिया गया है।

4.03. **भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय:** देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की खरीद के लिए भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय (फिल्म प्रभाग)।

4.04. **मिशन/विशेष परियोजना:** अभी तक की स्थिति के अनुसार समावेशी कार्यक्रम "मिशन/विशेष परियोजना" में तीन स्कीमें अर्थात (क) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय); (ख) पाइरेसी-रोधी पहलें; (ग) राष्ट्रीय एनीमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल हैं।

4.05. **राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन:** राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (मुख्य सचिवालय); बजट प्राक्कलन 2019-20 तक फिल्मों के अंतर्गत एनएफएचएम एक अलग स्कीम थी। वर्ष 2020-21 से स्कीमों के युक्तिकरण की वजह से इस स्कीम को डीसीडीएफसी के साथ मिला दिया गया है।

4.06. **एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र:** एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्री य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना – अभी तक की स्थिति के अनुसार, फिल्मों के अंतर्गत यह भी एक अलग स्कीम है। वर्ष 2020-21 से इस स्कीम को युक्तिकरण के कारण अन्य केंद्रीय व्य य के अंतर्गत आईआईएमसी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

4.07. **चैंपियन सेवाएं क्षेत्र योजनाएं:** वाणिज्य विभाग के चैम्पियन सेवा क्षेत्र की स्कीम नामक समावेशी स्कीम के अंतर्गत संशोधित प्राक्कलन 2019-20 में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित यह एक नई स्कीम है। इस नई स्कीम में भारत में मीडिया और मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो-विजुअल सेवाओं को शामिल किया गया है।

5.01. **अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आईआईएमसी का उन्नयन:** इसके प्रावधान में अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए आईआईएमसी की उन्नयन शामिल है। युक्तिकरण के कारण ये दो स्की में वित्त वर्ष 2020-21 से अन्य केंद्रीय व्यय के अंतर्गत आईआईएमसी के साथ मिला दी गई है। अत: वित्त वर्ष 2020-21 से अंतर्राष्ट्रीय मानक जनसंचार के तौर पर आईआईएमसी के उन्नयन की स्कीम बंद हो गई है।

5.02. **आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना:** यह प्रावधान आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र को खोलने के लिए है। युक्तिकरण के कारण ये दो स्की में वित्त वर्ष 2020-21 से अन्यप केंद्रीय व्ययय के अंतर्गत आईआईएमसी के साथ मिला दी गई है। अत: वित्त वर्ष 2020-21 से आईआईएमसी के क्षेत्रीय केंद्र खोलने की स्कीम बंद हो गई है।

6.01. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया केंद्र का सुदृढ़ीकरण:** इसका प्रावधान कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लं घन के लिए टेलीविजन चैनल/रेडियो की मानीटरिंग करने के लिए किया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया पूंजीगत व्यय भी शामिल है। वर्ष 2020-21 से, इस स्कींम को ईएमएमसी के स्थांपना के साथ मिला दिया गया है।

6.02. **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहायता:** सामुदायिक रेडियो अभियान, जो एक महत्व पूर्ण संचार का उपकरण है, विशेष रूप से उन समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए जिनमें अधिकतर लोग पढ़े-लिखे नहीं होते हैं।

6.03. **मिशन डिजिटलीकरण:** यह ऐसा तंत्र है जो सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) लगाने की प्रभावी निगरानी करने में सहायता करेगा। वर्ष 2020-21 से इस स्कीम को स्थापना व्यय के अंतर्गत मुख्य सचिवालय के साथ मिला दिया गया है।

6.04. **प्रसारण विंग का स्वचालन:** नए टीवी चैनलों के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल का विकास करने के लिए। वित्त वर्ष 2020-21 से यह स्कीम स्थापना व्यय के अंतर्गत मुख्य सचिवालय के साथ मिला दी गई है।

7.01. **प्रसार भारती:** इसमें प्रसार भारती के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं। इसमें प्रसार भारती में मानित प्रतिनियुक्ति पर गए सरकारी कर्मचारियों के छुट्टी व पेंशन अंशदान को भी शामिल किया गया है।

7.02. **भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे:** इसमें भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं। जिसमें अब वित्तय वर्ष 2020-21 से "एफटीआईआई के उन्नवयन और आधुनिकीकरण के लिए एफटीआईआई (पुणे) को सहायता अनुदान" के अंतर्गत पूर्व स्कीऔम आबंटन शामिल है।

7.03. **एसआरएफटीआई कोलकाता:** स्वायत्तशासी निकायों को सहायता:- इसमें सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई), कोलकाता के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं जिसमें अब वित्त वर्ष 2020-21 से "एसआरएफटीआईआई (कोलकाता) में अवसंरचना विकास" के अंतर्गत पूर्व स्कीम आबंटन भी शामिल है।

7.04. **बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई):** इसमें बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं।

7.05. **भारतीय जनसंचार संस्थान:** इसमें भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं जिसमें अब निम्नलिखित (i) "आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार उन्नेयन", (ii) "आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना" और (iii) वित्त् वर्ष 2020-21 से एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए राष्ट्रीसय उत्कृष्टेता केंद्र की स्थापना के अंतर्गत पूर्व स्कीम आबंटन भी शामिल है।

7.06. **भारतीय प्रैस परिषद:** इसमें भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के गैर-स्कीम संबंधी व्यय शामिल किए गए हैं